न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2013 G.C.M.S. No. 2013/00069 दर्ज दिनांक : 24.12.2013

अपीलार्थिगण:

1. दलाराम पुत्र रतनाराम
2. ओमाराम पुत्र रतनाराम कौम पिटल निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बुन्दू खां
2. दिन मोहम्मद
3. अयुब खां पुत्रगण मृतक नूर मोहम्मद
4. हुरमत बेवा नूर खां
5. मेमुना
6. बिसिया
7. शरीफन
8. जन्नत पुत्रियां मृतक नूर मोहम्मद जातिगण मुसलमान निवासीगण रोहट तहसील रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 100/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 बअनवान नूर मोहम्मद बनाम दलाराम वगैरह

उपस्थित–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 08.05.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 100/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 बअनवान नूर मोहम्मद बनाम दलाराम वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यहां तक अपीलाधीन आदेश पारित करने से पहले तारीख 9.4.2013 को अपीलांट को अनुपस्थिति दर्ज की गई और एकतरफा मौका स्थिति रेकर्ड पर लाये जाने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने तारीख 15–4–2013 को अपना जबाव व दस्तावेज पेश किये लेकिन उनको केवल शामिल मिसल किया और सीधे बहस में प्रार्थना पत्र रख दिया जबकि इसके निस्तारण हेतु साक्ष्य ली जाना न्यायसंगत था लेकिन न तो अपोलांट की साक्ष्य ली और न ही रेस्पोंडेन्ट की साक्ष्य ली व एकतरफा नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 21–6–2013 को पेश हुई। उसको आधार मानकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

एकतरफा निर्णय कर दिया। यहां तक 30–8–2013 तक आदेश पंजिका लिखी गई उसके बाद भी आदेश पंजिका भी पत्रावली में नहीं हैं। केवल 18–12–2013 को निर्णय लिखाकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया। नायब तहसीलदार रोहट ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 32 में से चन्द्रवीर सिंह को दे रखा है और रास्ता चालु भी है। ये ही नहीं आगे यह भी लिखा है कि खसरा नम्बर 34 का बंटवाडा किया है उसमें उनको रास्ता बंटवाड़ा में देना था, लेकिन नहीं दिया है। इसलिये एक खसरा में से अलग रास्ता संभव नहीं हैं। ये ही नहीं आगे स्पष्ट लिखा है कि खसरा नम्बर 33 में से रास्ता हेतु उपयोगी रहेगा तथा अपनी रिपोर्ट में इत बात का भी उल्लेख है कि खसरा नम्बर 34 में से 34/3 जो खसरा नम्बर 32/1 व 33 में से आते–जाते हैं, जो मौका पर रास्ता उपयोग में हो रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की बदनियति से ऐसा आदेश पारित किया है। खसरा नम्बर 32 का अपीलांट संख्या 1 व 2 के बीच में बंटवाडा हो गया है जो राजस्व कैम्प में हुआ है जिसका नक्शा हल्का पटवारी को प्राप्त नहीं हुआ। जिससे खसरे की तरमीम नहीं हैं। बंटवाडा नजरी नक्शा उपखण्ड कार्यालय में हैं। जिसके अनुसार यह प्रस्तावित रास्ता किसके खसरे में आता है, ऐसी रिपोर्ट भी नायब तहसीलदार रोहट ने कर दी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। रेस्पोंडेन्ट अपने खेत में जाने के लिये आवेदन खसरा नम्बर 36 में से भी रास्ते की मांग कर सकता था, लेकिन ऐसी मांग नहीं की। यहां तक खसरा नम्बर 35 व 33 के सभी आवश्यक पक्षकार थें व भूमिधारी तहसीलदार भी इस भूमि का मालिक होने के नाते इसे बतौर पक्षकार बनाना न्यायसंगत था। लेकिन उन्हें अप्रार्थी नहीं बनाने के कारण असंयोजन पक्ष के अभाव में आवेदन खारिज करने योग्य था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। खसरा नम्बर 36 रोहट ठाकर साहब की होने के कारण उनके भय से उनको पक्षकार नहीं बनाया जबकि मौके पर दक्षिण दिशा में रेकर्डेड गैर मुमकिन रास्ता है और रास्ते से उत्तर की ओर खसरा नम्बर 34 में जाने का खसरा नम्बर 36 से निकटतम रास्ता दिया जा सकता था लेकिन रेस्पोंडेन्ट ने उस और मांग नहीं की और चूंकि अपीलांट एक पिटल जाति के काश्तकार लोग है इसलिये उनको परेशान करने के लिये खसरा नम्बर 32 में रास्ते की मांग की हैं जबकि अपीलांट अपने जवाब के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट लिखा था कि खसरा नम्बर 32 व 36 को माट–माट दोनों खसरों को बराबर भूमि रास्ते के लिये प्राप्त कर अधिकतम 15 फुट चौड़ाई का रास्ता प्राप्त होने से उपलब्ध करवाये जाना चाहिये लेकिन इस पर भी कोई मनन नहीं किया। खसरा नम्बर 34 व 35 के काश्तकार खसरा नम्बर 36 में से आते–जाते रहे हैं तथा खसरा नम्बर 36 के पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 34 के चिपते मौके पर आज भी रास्ते के आलामात मौजूद है जिसकी फोटोग्राफी जवाब के साथ पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की थीं, लेकिन ऐसा आदेश नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स के पूर्वज नूर मोहम्मद द्वारा ग्राम रोहट तहसील रोहट में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 32 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु अपीलांट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2013 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह उज्र लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो काबिल अपास्त है।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व नायब तहसीलदार रोहट एवं संबंधित भू.अ.नि. द्वारा उभयपक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत सूचित नहीं किया गया एवं न ही उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए रास्ते का अभाव आत्यांतिक आवश्यकता तथा निकटतम दूरी के विकल्प के संबंध में कोई जांच व टिप्पणी किए बिना मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर किए बिना उक्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं हैं।
4. अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में लिए गए अन्य उजरात स्वीकार योग्य नहीं होने व बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किये जाते हैं।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन हेतु निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 100/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 बअनवान नूर मोहम्मद बनाम दलाराम वगैरह को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से उभयपक्षकारान को समुचित रूप से सूचित करते हुए प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए उपलब्ध रास्ते के अभाव, रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तथा प्रार्थी की आराजी तक निकटतम अभिलिखित रास्ते से सभी संभावित पहुंच मार्ग दर्शाते हुए विस्तृत मौका जांच प्रतिवेदन मय नक्शा प्राप्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट के समक्ष दिनांक 03.06.2025 को असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **08.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner